बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अल्पकालीन आवश्यक विज्ञप्ति 274/2023

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन एवं बुडको अन्तर्गत मुख्य अभियंता (असैनिक) के रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (असैनिक) का संविदा आधारित नियोजन की सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन एवं बुडको अन्तर्गत मुख्य अभियंता (असैनिक) के 05 रिक्त पदों के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के आलोक में सेवानिवृत अभियंताओं के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय आवेदन आमंत्रित किया जाता है :–

क्र० सं०	पद का नाम	कोटिवार रिक्तियाँ	अहर्त्ता	मासिक मानदेय
1	मुख्य अभियंता (असैनिक)	05 (गैर आरक्षित वर्ग–01 अत्यंत पिछड़ा वर्ग–01 अनुसूचित जाति–01 पिछड़ा वर्ग–01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–01)	बिहार सरकार के किसी भी विभाग से सेवानिवृत्त (Retired) मुख्य अभियंता (असैनिक)	सेवानिवृत (Retired) मुख्य अभियंता (असैनिक) को मानदेय के रूप में उनका अंतिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटा कर शेष राशि देय होगा।

2. उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक–08.02.2023 पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग केकार्यालय कक्ष में सभी दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार (Walk-in-Interview) हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. **नियोजन हेतु शर्तें निम्नवत् होंगी :–**

3.1 संविदा के आधार पर नियोजन प्रथमतः 2 (दो) वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने (दोनों में जो पहले हो) तक के लिए किया जायेगा। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के लिए एक–एक वर्ष की सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में 67 वर्ष तक सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

3.2 आरक्षण कोटि के विरूद्ध आवेदन करने वाले को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3.3 वैसे अभ्यर्थी, जिन पर कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/दण्ड अधिरोपित हो/आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँनहीं ली जाएँगी।

3.4 पी0पी0ओ0 की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि पी0पी0ओ0 उपलब्ध नहीं हो तो प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत पेंशन/उपादान संबंधी स्वीकृत्यादेश की प्रति अभ्यर्थी संलग्न कर सकते है।

3.5 वैसे अभ्यर्थियों के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा, जिन्हें अपने सेवाकाल के अन्तिम 10 वर्षों में वृहत दण्ड तथा अन्तिम 05 वर्षों में लघु दण्ड अधिरोपित किया गया है और जिनके पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित किया गया है।

4. विज्ञापन एवं शर्त्तों से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही Empanelment की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

5. विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/urban देखा जा सकता है।

सरकार के अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

PR- 14144 (Urban Dev.) 2022-23

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है।